



संयोजित प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विद्युत वृत्त

आफिस काम्पलेक्स, (प्रथम तल)
सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ
Email: upavpelect@gmail.com



पत्र सं०-

526 /M-6ED-I/ 79

दिनांक- 26-6-21

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार परिषद में विद्युत/यांत्रिक कार्य हेतु अर्ह श्रेणी में पंजीकृत फर्मों से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जो कि टू-बिड प्रणाली के अन्तर्गत ई-प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन प्रणाली द्वारा खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रु० लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई निविदा डाउनलोड करने की तिथि	टेक्निकल बिड खुलने की तिथि व समय	विवरण
1.	मड़ोला योजना सं०-4, भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-15 में वाह्य विद्युतीकरण का कार्य।	376.17	7.52	6000.00 + 18% GST	6 माह	03.07.2025	29.07.2025 11.00 बजे पूर्वाह्न	अधिशाली अभियंता, विद्युत खण्ड-प्रथम, आफिस काम्पलेक्स, भूतनाथ मन्दिर मार्ग, इन्दिरा नगर लखनऊ।

नियम व शर्तें:-

- निविदा प्रपत्र एवं अन्य नियम व शर्तें परिषद की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर एवं 30प्र० इलेक्ट्रॉनिक्स कापॉरेशन की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वह नियमित रूप से उक्त वेबसाइट पर देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना / शुद्धि-पत्र मात्र उक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
- तकनीकी बिड का परीक्षणोपरांत फाइनेन्सियल बिड खोलने की तिथि 30प्र० इलेक्ट्रॉनिक्स कापॉरेशन की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर अपलोड की जायेगी।

प्रकाशनार्थ नहीं:-

- निविदा प्रपत्र का उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल्य व वांछित धरोहर धनराशि का भुगतान केवल RTGS के माध्यम से अधिशाली अभियन्ता, विद्युत खण्ड-प्रथम, 30प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के पक्ष में निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक निर्धारित समयावधि के भीतर किया जा सकता है। उपरोक्त की स्वीकृति प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

Detail of RTGS :-

Name of Holder-Executive Engineer, ED-I, UPAVP, Indira Nagar Lucknow.

Name of Bank :-ICICI Bank Gomti Nagar Lucknow.

Account No. :- 469801000038

IFSC Code No. ICICI0004698

- निविदा दाता द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर धनराशि फर्म के खाते से अथवा फर्म के प्रोपराइटर के खाते से आर०डी०जी०एस० के माध्यम से प्राप्त होने पर ही निविदा पर विचार किया जायेगा।
- निर्धारित तिथि के बाद धरोहर धनराशि का भुगतान किया जाना मान्य नहीं होगा।
- निविदादाता को निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन से पूर्व कार्य की लागत का 10% (दस प्रतिशत) सिक्योरिटी धनराशि एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में जो अधिशाली अभियन्ता, विद्युत खण्ड-प्रथम, 30प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के पक्ष में बन्धक हो, को निविदा स्वीकृति प्रपत्र निर्गत होने के 07 दिन के भीतर कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
- फर्म की दरें निविदा की बी.ओ.क्यू. में अंकित दरों से 10 प्रतिशत तक कम होने तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम होने पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेंस गारंटी 30प्र० शासन के शासनादेश सं०622/23-12-2012-2आडि०/08 टी.सी. दिनांक 08 जून 2012 एवं तदक्रम में मुख्य अभियंता (म०) के पत्रांक 4196/निविदा/2018 दिनांक 14-09-2018 के अनुसार निविदा खुलने के एक सप्ताह के अंदर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में जो अधिशाली अभियन्ता, विद्युत खण्ड-प्रथम, 30प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के पक्ष में बंधक हो, जमा करने के पश्चात् ही निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

6. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध के निष्पादन हेतु ₹0 100.00 मूल्य का नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा। यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/शासन द्वारा स्टाम्प पेपर के मूल्य के सम्बन्ध में अन्य कोई आदेश पारित होते हैं तो तदनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध के समय ₹0 10.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
7. मुख्य अभियंता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 2018/ई-31/2020 दिनांक 29-06-2021 के माध्यम से दिये गये निर्देशानुसार " निविदा स्वीकृति के उपरांत फर्म द्वारा अनुबन्ध गठन सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की दशा में फर्म की जमा धरोहर धनराशि के साथ-साथ बी0ओ0क्यू0 से विलों दरो पर ली जाने वाली अतिरिक्त सिक्वोरिटी / परफारमेन्स गारण्टी भी जब्त कर ली जायेगी ।
8. उक्त कार्य उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, परिधिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे ।
9. उक्त कार्य में प्रयुक्त होने वाली विद्युत सम्बन्धित सामग्रियों की गारण्टीड टेक्निकल पर्टिकुलर परिधिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 से अनुमोदित करा कर सामग्रियों का निर्माता के परिसर में परिधिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के सामग्री प्रबन्ध अनुभाग से निरीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। उक्त में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही कोई समयवृद्धि दिया जाना सम्भव होगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा और न ही इस मद में कोई भुगतान फर्म को किया जायेगा ।
10. उक्त कार्य में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर की गारण्टी विद्युत विभाग को हस्तगत की तिथि के उपरांत 05 वर्षों (As per UPPCL Guide Lines) की होगी एवं कार्य में प्रयुक्त अन्य सामग्रियों यथा- केबिल, पैनल एवं ब्रेकर इत्यादि की गारण्टी विद्युत विभाग के हस्तगत हेतु उल्लेखित शर्तानुसार निर्धारित अवधि तक होगी। उक्त समयावधि में कोई भी सामग्री खराब होने पर उसे तत्काल बदलने या सही कराने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। जिसके लिये फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. ठेकेदारों/श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में होना अनिवार्य है।
12. निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तों का पूर्ण विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध होगा, जिसका ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। फर्मों द्वारा निविदा के साथ संलग्न किये गये समस्त प्रमाण-पत्र निविदा खुलने की तिथि के उपरान्त न्यूनतम 01 माह तक वैध होने चाहिए ।
13. कार्य की मात्रा घट-बढ़ सकती है जिसके लिये निविदादाता का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
14. निविदादाता द्वारा दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा। यदि दस्तावेजों के फर्जी या गलत होने की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
15. निविदादाता को GST में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा ।
16. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया, गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिससे किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
17. बी0ओ0क्यू0 की दरो में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।
18. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
19. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।
20. सभी फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें। उक्त निविदा में उल्लिखित कार्य के सम्मुख अंकित अवधि में किसी भी प्रकार की समयवृद्धि मान्य नहीं होगी।
21. ठेकेदार/फर्म द्वारा स्याई धरोहर धनराशि (जनरल सिक्वोरिटी) एवं कुल धरोहर धनराशि के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में जमा करनी होगी, अन्तर धनराशि जमा न होने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
22. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर (Below) मानी जायेगी।
23. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षों या अन्य देदी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
24. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
25. उ0प्र0 शासन/जिला पशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड-19 के अंतर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

26. निविदा खुलने की तिथि को यदि कोई अवकाश पड़ता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर खोली जायेगी।
27. Experience of having successfully completed similar works during last 7 years ending last day of month previous to the one in which applications are invited should be either of the following: -
- a. Three similar completed works costing not less than the amount equal to 40% of the estimated cost.
- or
- b. Two similar completed works costing not less than the amount equal to 50% of the estimated cost.
- or
- c. One similar completed work costing not less than the amount equal to 80% of the estimated cost
28. कोई भी निविदादाता जो उ०प्र० राज्य सरकार अथवा सम्पूर्ण भारत के किसी भी राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज न हो, द्वारा ही निविदा में प्रतिभाग किया जा सकता है।
29. "क" श्रेणी अनुमोदित विद्युत सुरक्षा लाईसेन्स धारक फर्म द्वारा ही ई-निविदा में प्रतिभाग किया जा सकता है।

(सी०पी० सिंह)

अधीक्षक अभियन्ता-वि०

पृ०सं०

526 / M-6-ED-I / 79

दिनांक:

9c 26-6-24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियंता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-प्रथम, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ को इस आशय से पोषित कि प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित ई-निविदा प्रपत्र समयानुसार वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद/कानपुर।
4. इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को उक्त निविदा सूचना परिषद वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर एवं उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर प्रकाशित कराये।
5. नोटिस बोर्ड, विद्युत वृत्त, लखनऊ।
6. मेसर्स आर्ट ग्राफिक्स एडवर्टाइजिंग, 3 फ्लोर, बी-ब्लॉक, सूरजदीप भवन, 1-जापलिंग रोड, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना को मुरादाबाद से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" एवं लखनऊ से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "The Indian Express" में तीन दिन के अन्दर न्यूनतम स्थान देते हुए प्रकाशित कराकर भुगतान हेतु बिल द्विपण में इस कार्यालय में प्राप्त कराने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता-वि०